Indian J. Soc. & Pol. 09 (02) : 109-112: 2022 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
First Published Online 31 JULY 2022 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनपद फिरोजाबाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

कौशलेन्द्र दीक्षित[1]

[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान विभाग,नेशनल पी.जी. कालेज,भोगाँव, मैनपुरी, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का शुभारम्भ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण' करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस कार्यक्रम में कई कार्य निर्धारित किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन का उत्तरदायित्व नियमित नौकरशाही को ही सौंपा गया, किन्तु विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में हेर–फेर कर दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा संचालित होने के कारण विफल हो गया।

KEYWORDS: *स्थानीय स्वशासन, पंचायत, सामूदायिक विकास कार्यक्रम, फिरोजाबाद*

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का शुभारम्भ था। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1952 से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में योजना आयोग का मत था कि 'सामुदायिक विकास केन्द्र को इस रूप में विकसित करना सरल होगा कि वह ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में समाज कल्याण के विकास का बीज केन्द्र सिद्ध हो सके।'

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण' करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस कार्यक्रम में कई कार्य निर्धारित किए गए। उनमें प्रमुख थे– पड़ती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, उन्नत कृषि उपकरणों की व्यवस्था, कृषकों तथा कर्मचारियों आदि का प्रशिक्षण, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आवास प्रबंध, शिक्षा प्रबंध, लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था इत्यादि। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन का उत्तरदायित्व नियमित नौकरशाही को ही सौंपा गया, किन्तु विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में हेर–फेर कर दिया गया था। फिर भी वास्तविकता में सामुदायिक विकास का प्रशासन लगभग पूर्णतः नौकरशाही, विशेषकर राजस्व तथा प्रशासनिक सेवाओं में से चुने हुए व्यक्तियों, के हाथ में था। प्रो0 रजनी कोठारी जैसे विद्वानों का मत है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा संचालित होने के कारण विफल हो गया। क्योंकि इन कार्यक्रमों के संचालन में स्थानीय लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया, जबकि स्थानीय समस्याओं तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं का ज्ञान स्थानीय जनता को ही अधिक होता है। वे ही स्थानीय स्तर पर उनका उचित समाधान कर सकते हैं। नौकरशाही द्वारा संचालित होने के कारण इसमें गांवों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की मशीनरी के विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया गया। सरकारी तंत्र के जरिए गांव के लोगों की मनोवृत्ति बदलने की आशा की गई, नतीजा यह हुआ कि गांवों की उन्नति के खुद प्रयत्न करने के बजाय ग्रामीण जनता सरकार का मुंह देखती रही।

बलवन्तरॉय मेहता समिति (1957)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभावी रूप ग्रहण न कर पाने के कारण सन् 1957 में बलवन्तरॉय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु किया गया। दिसम्बर, 1957 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया। समिति ने महसूस किया कि गांवों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सच्चे अर्थो में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ग्राम प्रधान की आवश्यकता भारत की इस बात की है कि सत्ता ग्रामीण जनता के हाथ में रहे। ग्रामीण जनता में इतनी क्षमता हो कि वह स्वयं स्वशासन चला सके। समिति ने इस बात पर भी बल दिया कि योजनाओं के निर्माण के समय स्थानीय ग्रामीण जनता का सहयोग लिया जाए। इस तरह प्रत्येक गांव अपने विकास की जिम्मेदारी अनुभव करेगा और उस गांव की पंचायत सक्रिय होकर विकास कार्य में लग जायेगी।

समिति ने स्पष्ट किया कि देश के विकास कार्यक्रम प्रशासन के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सफल हो सकते हैं। इस हेतु समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रि–स्तरीय पंचायत राज को स्थापित करने की अनुशंसा की। ये त्रि–स्तर हैं– ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष स्तर पर जिला परिषंद साथ ही त्रि–स्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिन्दुओं को आवश्यक माना– सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाईयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्तव्य की समझ तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर जनवरी, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया। समिति ने सिफारिशों के अनुमोदन के साथ यह सुझाव दिया कि 'प्रत्येक

1: Corresponding Author

राज्य को ऐसी पंचायत राज व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो राज्य में विद्यमान विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप हो।'

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह संभव नहीं था कि राष्ट्र के सम्पूर्ण भागों में पंचायत राज संस्थाओं की संरचना में एकरूपता बनी रहे। अतः मेहता समिति की सिफारिशों की मूल भावना को बनाए रखते हुए इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कतिपय आधारभूत सिद्धान्तों का विकास किया गया। इन सिद्धान्तों के अनुसार जिला से ग्राम स्तर तक त्रि–स्तरीय स्वशासन के निकाय होने चाहिए और वह परस्पर श्रृंखलाबद्ध हो। उनको सत्ता एवं कर्तव्यों का हस्तांतरण किए जाने चाहिए। सभी लोककल्याणकारी एवं विकासशील योजनाएं एवं कार्यक्रम इस स्तर पर इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं संचालित होने चाहिए। त्रि–स्तरीय संस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि भविष्य में इनमें अधिकारों एवं कर्तव्यों का अंतरण एवं प्रकीर्णन सरलता से हो सके।

1959 के पश्चात् लगभग एक दशक तक पंचायत राज की प्रगति की दिशा में भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों द्वारा कदम उठाए जाते रहे। किन्तु इसके पश्चात् पंचायत राज एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रणाली के प्रति जो प्रारंभिक उत्साह था, वह ठंडा सा पड़ता दिखाई देने लगा। केन्द्र में तत्कालीन नेतृत्व के अधीन राज्य सरकारों ने पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास किये। फिर भी इस कार्य के प्रति उत्साह मंद पड़ गया और यह उत्साह केवल 5 वर्ष (1959–1964) तक रहा। इसके बाद ठहराव का चरण (1965–169) आया। इस काल के दौरान हस्तांतरित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में भी पर्याप्त वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया गया। वैसे स्वयं इन संस्थाओं ने भी अपने संसाधनों में वृद्धि के लिए उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। प्रशासकीय एवं राजनीतिक स्तरों पर भी इन संस्थाओं के कार्यकरण के प्रति उदासीनता दिखाई देने लगी। यपि पंचायत राज संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ढांचा अस्तित्व में लाया गया, किन्तु व्यवहार में इसकी प्रभावशीलता सीमित रहीं। अंतिमतः यह संस्थाएं मरणासन्न हो गई। इस प्रकार सन् 1969–1977 का काल पंचायत राज संस्थाओं के लिए पतन का काल रहा।

अशोक मेहता समिति (1977)

सन् 1977 में कांग्रेस के स्थान पर केन्द्र में पदारूढ़ जनता सरकार स्थानीय स्तर के निकायों की शक्तियों एवं कार्यो का विकेन्द्रीकरण करने की इच्छुक थी। फलतः उसने पंचायत राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव देने हेतु दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त, 1978 में 11 अध्यायों तथा 300 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पंचायती राज की द्वि–स्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाए। राज्य स्तर से नीचे विकेन्द्रीकरण का पहला बिन्दु जिला है जहां ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक उच्च कोटि का तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है। जिला परिषद के नीचे एक 'मण्डल पंचायत' बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसे कई गांवो को मिलाकर बनाना था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को कर लगाने के आवश्यक अधिकार दिए जाने की सिफारिश की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि इन संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की, किन्तु ग्राम पंचायत की समाप्ति तो पंचायत राज की कल्पना की मूल इकाई की ही समाप्ति थी। फिर भी राजनीतिक दलों का पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने सम्बन्धी समिति का सुझाव व्यवहारिक एवं वांछनीय था।

अशोक मेहता समिति ने देश में पंचायत राज के आकार एवं स्थायित्व के निमित्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की, किन्तु रिपोर्ट के क्रियान्वयन के पूर्व ही जनता सरकार का पतन हो गया। तत्पश्चात् सन् 1980 में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने जनता सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं की।

जी0वी0के0 राव समिति (1985)

योजना आयोग के परामर्श से राव समिति ने रिपोर्ट तैयार की। इस समिति ने प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसी योजना की सिफारिश की। इस योजना में जिला स्तर का निकाय केन्द्रीय महत्व का बनाया गया। समिति का यह मत था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी (नौकरशाही) पर नहीं थोपनी चाहिए। यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जायो। समिति ने यह सिफारिश की कि पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय बनाया जाये तथा उन्हें पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये ताकि वे जन समस्याओं के निराकरण की प्रभावी संस्थाएं बन सके। अतः इन संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराये जाये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिले को नीति नियेाजन (पॉलिसी प्लानिंग) व कार्यक्रम क्रियान्वयन की आधारभूत इकाई बनाया जाये। इसलिए जिला परिषद को समस्त विकास कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए प्रमुख निकाय बनाना चाहिए ताकि उनका क्रियान्वयन उसी स्तर पर हो सके। समिति के मत में जिला परिषद का कार्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित अनेक उपसमितियों द्वारा सम्पन्न होना चाहिए ताकि सहभागी लोकतंत्र पुष्पित एवं पल्लवित हो सके। जिला एवं नीचे के स्तर की पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास योजनाओं के नियोजन व मानीटरिंग में प्रभावी भूमिका प्रदान की जाना चाहिए। समिति की यह महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि जिला बजट की अवधारणा शीघ्रातिशीघ्र प्रयुक्त की जावे।

समिति की यह भी अनुशंसा थी कि जिला ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन की मुख्य कार्यकारी संस्था विकास खण्ड (ब्लॉक) स्तर होगा, अतः विकास खण्ड स्तर का पुनरूत्थान अत्यावश्यक है।

एल0एम0 सिंघवी समिति (1986)

सन् 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेरणा से प्रस्तुत की गई। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की वृद्धि और विकास पर दृष्टिपात करने के पश्चात् सिंघवी समिति ने लगभग विस्मृत ग्रामसभा को पुनर्जीवित किया जिसमें एक गांव के सभी निवासियों को सम्मिलित किया तथा इसे 'प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अवतार' की संज्ञा दी। समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। उसने सुझाव दिया कि भारत के संविधान में एक पृथक अध्याय पंचायत राज संस्थाओं की पहचान एवं सम्पूर्णता को बनाने के लिए जोड़ा जाये ताकि इन संस्थाओं को तार्किक व आधारगत् रूप में अवनतिक्रमणीय बनाया जा सके। समिति ने गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना का सुझाव दिया। जहां तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता का प्रश्न है, समिति ने स्वयं कोई सुनिश्चित अनुशंसा नहीं की और ऐसे सरकारी निर्णय की अपेक्षा की जो व्यवहारिक हो तथा राष्ट्र के विभिन्न दलों की सहमति से लिया गया हो। वस्तुतः अशोक मेहता समिति एवं अन्य समितियों की सिफारिशें मात्र कागजी बनकर रह गयी। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आंध्रप्रदेश व कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन नियमिति रूप से नहीं कराये गये।

अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य तथा विकेन्द्रीयकृत आयोजन के प्रसंग में पंचायत राज व्यवस्था के महत्व को पुनः अनुभव किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों की कार्यशालाओं तथा पंचायत राज व्यवस्था के महत्व को पुनः अनुभव किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों की कार्यशालाओं तथा पंचायत राज सम्मेलन में ग्रामीण विकास तथा विकेन्द्रीकृत आयोजन विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और इनका सार रूप से निष्कर्ष रहा कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को अधिक गतिशील बनाने तथा विकेन्द्रित आयोजन की सफलता के लिए पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है। इन सभी दिशाओं में सकारात्मक प्रयास करने हेतु एवं पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से सन् 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया लेकिन अनेक राजनीतिक कारणों से यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।

73वाँ संविधान संशोधन

पी.वी. नरसिम्हाराव सरकार ने (स्व.) राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायत राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक को संशोधित कर दिसम्बर, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में संसद से पारित करवाया। यह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 जोड़ा गया है जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किए गये हैं जिसमें 15 उप–अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

(1) 'ग्रामसभा' एक ऐसा निकाय होगा जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्रामसभा राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यो को सम्पन्न करेगी।

(2) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

(3) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा।

- प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से किया जायेगा। जिसमें सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जायेगा जितने सदस्य उस क्षेत्र से निर्वाचित किए जायेंगे। पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा।

- राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा गध्यवर्ती पंचायतों के न होने पर जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। तथा इसी प्रकार मध्यवर्ती पंचायतों के प्रमुखों का जिला स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

- पंचायत का प्रमुख तथा पंचायत के सदस्य चाहे वे पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित हों या न हों, मात्र ही पंचायतों की सभाओं में वोट देने के लिए अधिकार से युक्त होंगे।

- ग्राम स्तरीय पंचायतों के प्रमुख का निर्वाचन राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित विधि ने प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। मध्यवर्ती या जिला स्तरीय पंचायतों के प्रमुखों का निर्वाचन इन पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होंगे। यह स्थान पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किए जायेंगे। यह स्थान एक पंचायत में चक्रानुक्रम से विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में आरक्षित की जायेगी।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

- प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से न्यूनतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे (जिसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) ये स्थान चक्रनुक्रम से एक पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित किए जायेंगे।

(5) प्रत्येक पंचायत की कार्यवधि 5 वर्ष होगी। इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व ही नए चुनाव कराये जायेंगे। यदि पंचायत को पांच वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराये जायेंगे।

(6) राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जो कि उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत बना सकें तथा उनसे पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनायें तैयार कर सकें एवं 11वीं अनुसूची में समाहित विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें।

(7) राज्य विधानमण्डल पंचायतों को विनिर्दिष्ट कर, शुल्क, चुंगी एवं फीस लगाने एवं संग्रहित करने के लिए अधिकृत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार राज्य की आकस्मिक निधि से पंचायत को पर्याप्त सहायता एवं अनुदान देगी।

(8) राज्यों के राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अंदर तथा इसके पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये सिफारिशें राज्यों की संचित निधि से सहायता अनुदान आदि से सम्बन्धित होंगी। राज्यपाल इन सिफारिशों को इस व्याख्या के साथ कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए, राज्य विधान मण्डल में रखवायेगा।

(9) राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा खाते तैयार करने तथा इन खातों की लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का निर्माण करेगा।

(10) राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त से संरचित राज्य चुनाव आयोग ही मतदाता सूचियों को तैयार करने में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण रखेगा तथा वहीं पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करवायेगा।

(11) यह अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 243 (जी) द्वारा एक नयी 11वीं सूची जोड़ता है जिसमें अग्रलिखित 29 विषय हैं– (1) कृषि प्रसार सहित कृषि, (2) भू–सुधार एवं मृदा संरक्षण, (3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध एवं जल संभर विकास, (4) पशुपालन, दुग्धशाला एवं मुर्गीपालन, (5) मत्स्य पालन, (6) सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, (7) लघु वन उत्पाद, (9) खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, (10) ग्रामीण आवास, (11) पेयजल, (12) ईंधन (13) सड़कें, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन, (14) विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण, (15) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत, (16) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, (17) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा, (18) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, (19) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, (20) पुस्तकालय, (21) बाजार एवं मेले, (22) सांस्कृतिक क्रियाकलाप, (23) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपचार केन्द्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (24) परिवार कल्याण (25) महिला एवं बाल विकास, (26) सामाजिक कल्याण, (27) कमजोर वर्गो का कल्याण, विशेषकर अनुसूचित जाति कल्याण, (28) जल वितरण व्यवस्था, (29) सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण।

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया है। संवैधनिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इससे पंचायतों के गठन में एकरूपता आयेगी और इनके निर्वाचन नियमित होंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुई है। जिससे ग्रामीण विकास में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस तरह नया संशोधित पंचायत राज कानून पूर्णतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, चुनावों की वैधानिकता, अनिवार्यता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, उर्ध्वगामी नियोजन प्रक्रिया के साथ–साथ समायोजन की विशेषता रखता है।

REFERENCES

जैन, पी.सी. जैनः शशि एवं भटनागर, सुधाः (1997) *शिड्यूल्ड कास्ट वुमेन,* जयपुर, रावत पब्लिकेशंस,

ऑस्कर, लेविस, (1958) *ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इण्डिया विलेजेजः ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन्स, प्रोग्राम इवेल्युएशन एण्ड आर्गेनाइजेशन,* नई दिल्ली,, प्लानिंग कमीशन,

मुतालिब एवं खान (1983) *ब्यौरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट* नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिकेसन्स

नेहरू, जवाहरलालः(1965) सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज, सत्ता साहित्य मण्डल,

सेसिल क्रोसः (1922) *द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया (1958–1914),* शिकागों, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस

सिंह, अवतार (1993) *लीडरशिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर,* नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स

सिंह, अवतारः लीडरशिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1963

सिंह, राजेन्द्र कुमार (1996) *ग्रामीण राजनीतिक अभिजन,* नई दिल्ली, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी

सिंह, एस.एस. एवं मिश्रा, सुरेश, (1993) *लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ पंचायत राज इन इण्डिया,* इंटलेक्युअल नई दिल्ली, पब्लिशिंग हाउस

उम्मन, एम.ए. एवं दत्ता (1995) *अभिजित, पंचायत राज एण्ड देअर फायनेंस,* नई दिल्ली, कन्सेप्ट पब्लिशिंग

जैदी, ब्रजलाल एण्ड अनीस (1988) *पॉलिटिक्स, पॉवर एण्ड लीडरशिव इन रूरल इण्डिया,* नई दिल्ली, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स